न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 930 सन 2024

अनवान :–

1. ब्रदीप्रसाद पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. रामकोरी पत्नी मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22/10/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की 70.08 बीधा भूमि वादीगण के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता मोहनराम के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की 70.08 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 181 के हाल खसरा न0 589/1381 की 15.08 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

मोहनराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिसके वादी के पिता मोहनराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में मोहनराम वल्द किशनाराम के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम जाति जाट को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 181 में आवंटित शेष भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 589/1381 की कुल 3. 8320हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता मोहनराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी मोहनराम उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता मोहनराम को बाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्ष बाद ही वादी के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी मोहनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 136/125 के खसरा न0 589/1381 की 3.8320हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 136/125 के खसरा न0 589/1381 की 3.8320हैक्‍ भूमि जो वादी के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता मोहनराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता मोहनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्त न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की 70.08 बीधा भूमि वादीगण के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता मोहनराम के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की 70.08 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 181 के हाल खसरा न0 589/1381 की 15.08 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

मोहनराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिसके वादी के पिता मोहनराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में मोहनराम वल्द किशनाराम के वारिस की हैसियत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता मोहनराम [illegible] जाट को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 181 में आवंटित शेष भूमि [illegible] अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादीगण व [illegible] 2 के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 589/1381 की कुल 3. 8320हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

अवधि अधिकारी
नोहर

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता मोहनराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी मोहनराम उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता मोहनराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता मोहनराम पुत्र किशनाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी मोहनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 136/125 के खसरा न0 589/1381 की 3.8320हैक्‍ भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 की कुल 70.08 बीधा भूमि मोहनराम वल्द किशनाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि मोहनराम वल्द किशनाराम जाति जाट का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोहनराम वल्द किशनाराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि मोहनराम वल्द किशनाराम को दिनांक 18.07.1968 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादीगण के पिता आवटी मोहनराम वल्द किशनाराम के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 1181 जो बहुत बडा खसरा था के हाल अन्य खसरों के साथ हाल खसरा न0 589/1389 की 15.03 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

वादीगण के पिता मोहनराम को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 589/1381 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 589/1381 [illegible] भूमि [illegible] पिता मोहनराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व [illegible] वादीगण के पिता मोहनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गै[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भूआन को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 181 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुकी है एव जो उनके वारिसान वादीगण के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 हाल खसरा नम्बर 589/1381 की 3.8320हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादीगण के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज मोहनराम वल्द किशनाराम को आवंटन दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के क्रमांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भूआन (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 181 हाल खसरा न0 589/1381 की 3.8320हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि मोहनराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादीगण के पिता मोहनराम वल्द किशनाराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 136/125 के खसरा न0 589/1381 की कुल 3.8320हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. ब्रदीप्रसाद पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. रामकोरी पत्नी मोहन जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 930 सन 2024 निर्णय दिनांक – 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 136/125 के खसरा न0 589/1381 की कुल 3.8320हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested